



2026:AHC:31192

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2129/2026

गजेंद्र गिरि एवं अन्य

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : नवनीत कुमार शुक्ला, पवन सुत

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नवनीत कुमार शुक्ल तथा राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना गया।
2. प्रस्तुत मामले में रिट याचिकाकर्ता ने इससे पूर्व रिट-ए संख्या 17963/2023 दायर करते हुए इस न्यायालय का रुख किया था, जिसमें दिनांक 28.10.2023 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे:

“1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

2. याचिकाकर्ता, जो स्वर्गीय शालू गिरी के पिता हैं, अपनी विवाहित पुत्री की दिनांक 02.06.2020 को सेवाकाल के दौरान हुई मृत्यु के आधार पर पारिवारिक पेंशन का दावा किया है।

3. यह दलील दी गई है कि बेटी की शादी के दो महीने के भीतर ही मृत्यु हो गई थी, और यद्यपि उसका दामाद एक नौकरीपेशा व्यक्ति था, फिर भी याचिकाकर्ता पूरी तरह से अपनी विवाहित बेटी पर ही निर्भर था, क्योंकि उसकी आय का कोई अन्य स्वतंत्र स्रोत नहीं था। उसका दावा है कि उसकी बेटी 31.05.2019 को सिविल पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हुई। वह इस बात से इनकार नहीं करता कि उसका एक नाबालिग बेटा और एक अन्य अविवाहित, नौकरीपेशा बेटी है। दूसरी बेटी, जिसका नाम सपना है, वह भी सिविल पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। अतः, वह यह निवेदन करता है कि उसके अंतिम बकाया राशि का दावा पूर्णतः वैध है—विशेषकर ऐसी परिस्थितियों में, जब उसके अपने दामाद ने ही उसके पक्ष में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है।

4. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का यह तर्क है कि याचिकाकर्ता अपनी विवाहित पुत्री पर पूर्णतः आश्रित नहीं था, क्योंकि उसकी पहले से ही एक अविवाहित पुत्री है जो सिविल पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है; अतः वह अपनी उस विवाहित पुत्री पर आश्रित होने का दावा नहीं कर सकता, जिसका निधन हो चुका है। विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान 23.12.2016 के सरकारी आदेश की ओर भी आकर्षित किया है, जिसके तहत कर्मचारियों के माता-पिता को सेवा-निवृत्ति लाभ प्राप्त करने का अधिकार है; बशर्ते कि कर्मचारी के जीवित रहने पर उसकी विधवा, विधुर अथवा संतानें, जैसा भी मामला हो, न हों।

5. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात्, मेरे विचार से जिस मुद्दे पर विचार किया जाना आवश्यक है, वह यह है कि क्या ऐसे मामले में परमादेश जारी किया जा सकता है, जहाँ याचिकाकर्ता के सेवा-निवृत्ति बकाया के हक पर प्रश्न उठाया गया हो। स्थापित विधिक सिद्धांत और इसलिए परमादेश रिट जारी करने का नियम यह है कि किसी प्राधिकारी को किसी कानून के तहत एक निश्चित कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए बाध्य होना चाहिए और वह ऐसा करने में विफल रहता है।

6. मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और मेरे समक्ष प्रस्तुत सरकारी आदेश (जो रिट याचिका के अनुबंध संख्या 6 के रूप में संलग्न है) के आलोक में, मैं याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मृतक पुत्री की ग्रेच्युटी के संबंध में प्रस्तुत तर्क और दलील को सारगर्भित पाता हूँ।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. यह भी ध्यान देने योग्य है कि 28.07.1989 के सरकारी आदेश के अनुसार, किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर ग्रेच्युटी का भुगतान नामांकन के आधार पर परिवार के सदस्यों को किया जाना है। दिनांक 11.01.2022 के परिपत्र का खंड 2, जिसमें सरकारी आदेश का उल्लेख है, नीचे दिया गया है:

“2- उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि,

(1) शासनादेश संख्या: 38/2016-सा-3-921 /दस-2016/308/2016 दिनांक 23.12.2016 के प्रस्तर-7 (4) नई पारिवारिक पेंशन योजना-1965 में यह प्राविधान दिया गया है कि,

वर्ग-1 (क) विधवा / विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो,

(ख) पुत्र / पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह / पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक। वर्ग-2 (च) अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्री, जो उपरोक्त वर्ग-1 से आच्छादित नहीं है को विवाह / पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो।

(छ) ऐसे माता पिता जो सरकारी सेवक पर उसके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हों तथा मृत सरकारी सेवक के पीछे कोई विधवा / विधुर अथवा बच्चे न हो। आश्रित माता-पिता अविवाहित/ तलाकशुदा / विधवा पुत्री की पारिवारिक पेंशन जीवन पर्यन्त मिलेगी।

वर्ग-2 से आच्छादित अविवाहित / विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा अश्रित माता पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में पात्र उपलब्ध नहीं है तथा मृतक सरकारी सेवक के परिवार उसे ऐसी कोई संतान नहीं है जो विकलांग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों में उनकी जन्मतिथि के क्रम में होगी अर्थात् पहले जन्म लिये बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चों की पात्रता स्थापित होगी।

(2) शासनादेश संख्या: सा-3/1713 / दस-89-933 89 दिनांक 28.07.1989 के प्रस्तर-8 (ख) में यह प्राविधान दिया गया है कि, यदि सरकारी सेवक द्वारा ग्रेच्युटी हेतु नामीनेशन कर दिया गया हो तो ऐसी अनन्तिम मृत्यु ग्रेच्युटी नामीनेशन के अनुसार ही परिवार के सदस्यों में वितरित की जायेगी किन्तु यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक ने नामीनेशन नहीं किया है तो मृत्यु ग्रेच्युटी का भुगतान निम्नवत् किया जायेगा:-

1- यदि परिवार के निम्न सदस्यों में से एक अथवा अधिक सदस्य जीवित है तो उनमें सम्बन्धित धनराशि को बराबर-बराबर वितरित कर दिया जायेगा:-

(अ) पत्नी (पुरुष कर्मचारी के मामले में)

(ब) पति (महिला कर्मचारी के मामले में)

(स) पुत्र (सौतेली संतानों तथा गोद ली हुई संतानों को सम्मिलित करते हुए)

(द) अविवाहित पुत्रियाँ (सौतेली संतानों तथा गोद ली हुई संतानों को सम्मिलित करते

2- यदि उपर लिखित उपखण्ड के अन्तर्गत उल्लिखित परिवार का कोई सदस्य न हो और यदि निम्न सदस्य जीवित हों तो मृत्यु ग्रेच्युटी इनमें बराबर-बराबर बांटी जायेगी:-

(1) विधवा पुत्रिया

(2) 18 वर्ष से कम आयु वाले भाई तथा अविवाहित एवं विधवा बहनें (सौतेले भाई व बहन को सम्मिलित करते हुए)

(3) पिता

(4) माता

(5) विवाहित पुत्रियाँ (सौतेली पुत्रियों को सम्मिलित करते हुए) तथा

(6) पूर्व मृतक पुत्र की संतानें।”

(ज़ोर दिया गया)

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि उनकी पुत्री शालिनी गिरी ने अपने सेवा अभिलेखों में अपने माता-पिता को नामित किया था, और इस बात को पुलिस अधीक्षक, औरैया ने दिनांक 03.09.2020 के अपने आदेश में स्वीकार किया है। पुलिस अधीक्षक, औरैया द्वारा दिनांक 03.09.2020 को पारित आदेश को नीचे उद्धृत किया गया है:

कार्यालय पुलिस अधीक्षक,

जनपद औरैया।

पत्र संख्या:प-25/2020

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दिनांक: सितम्बर 3, 2020

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,

भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा,

औरैया।

कृपया अवगत कराना है कि कु० शालूगिरी पुत्री श्री गजेन्द्र गिरि नि० लतीफपुर दत्त नगर थाना बोलैनी जनपद बागपत को महिला आरक्षी पुलिस के पद पर जनपद औरैया में दिनांक 17.05.2019 को भर्ती हुई थी। जिसका खाता संख्या: 38489430865 आपकी शाखा में प्रचलित है। पारिवारिक समस्याओं के कारण उक्त महिला आरक्षी द्वारा दिनांक 02.06.2020 को थाना विधूना जनपद औरैया में नियुक्ति के दौरान आत्महत्या कर ली गयी है। खाता खुलवाते समय फार्म में उसने नामिनी कालम में अपनी माता या पिता का नाम आवश्यक अंकित किया था। वर्तमान में उक्त खाते में पड़ी धनराशि को मृतक महिला आरक्षी के आश्रित माता-पिता को भुगतान किये जाने विषयक है। अभिलेखानुसार कु० शालूगिरी की जन्मतिथि 16.03.1998 अंकित है।

अतः स्व० महिला आरक्षी कु० शालूगिरी पुत्री श्री गजेन्द्र गिरि नि० उपरोक्त के खाता संख्या के मूल फार्म की जाँच कराते हुये उक्त खाते में जमा धनराशि को उनके आश्रित माता-पिता के पक्ष में भुगतान कराने का कष्ट करें।

ह० अप०

3/09/20

(सुनीति)

पुलिस अधीक्षक,

औरैया।

(ज़ोर दिया गया)

9. रिट याचिका में ऐसी कोई दलील नहीं दी गई है कि औरैया के पुलिस अधीक्षक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, औरैया के शाखा प्रबंधक को संबोधित अपने आदेश में याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी की जो राशि भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, वह उसके पक्ष में जारी नहीं की गई है।

10. उपर्युक्त को देखते हुए, मुझे 23.12.2016 के सरकारी आदेश के आलोक में, याचिकाकर्ता को किसी भी प्रकार के अंतिम बकाया के भुगतान हेतु कोई निर्देश जारी करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। जहां तक ग्रेच्युटी की राशि के भुगतान का संबंध है, ग्रेच्युटी खाते में जो कुछ भी जमा है, उसका भुगतान याचिकाकर्ता को पुलिस अधीक्षक द्वारा 28.07.1989 के सरकारी आदेश के तहत, 03.09.2020 को पारित आदेश के आलोक में किया जाना चाहिए था। अतः, मैं अंतिम बकाया राशि के भुगतान के संबंध में कोई निर्देश जारी करने हेतु इस याचिका पर विचार करने से इनकार करता हूँ। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि औरैया के पुलिस अधीक्षक के दिनांक 03.09.2020 के आदेश के बावजूद ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, तो उक्त राशि बिना किसी और विलंब के वर्तमान याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी के खाते में जमा कर दी जाएगी।

11. उपर्युक्त टिप्पणियों के अधीन, यह याचिका अभिलेखों में रख दी जाती है।

3. वर्तमान याचिका में ग्रेच्युटी देने की प्रार्थना की गई है।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि तकनीकी रूप से दूसरी रिट याचिका विचारणीय नहीं हो सकती है, हालांकि, उनके अनुसार, रिट याचिकाकर्ता के लिए प्रत्यर्थियों से संपर्क करना हमेशा संभव है, और यदि वह संपर्क करता है, तो दावे पर विचार किया जाएगा।

5. इस प्रकार के निवेदन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।

6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

12 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"